Regd. No. MH/MR/South-29/2004-05

खण्ड I ◆ अंक 3

दिसंबर 2004

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

2004 के दौरान महत्त्वपूर्ण वित्तीय गतिविधियां

जनवरी

- रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के लिए *अपने ग्राहक को जानिये* दिशानिर्देश घोषित किये।
- बैंकों को सूचित किया गया कि वे उनके द्वारा जन साधारण को दी जा रही सेवा संबंधी कार्य-पद्धति और कार्य-निष्पादन की लेखा परीक्षा के लिए एक *तदर्थ* समिति गठित करें।
- शेयरों की ज़मानत पर अग्रिमों/प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गमों के वित्तपोषण/गारंटी जारी करने के संबंध में 40 प्रतिशत का एकसमान मार्जिन बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया।
- बैंकों को सूचित किया गया कि एक करोड़ रुपये और उससे अधिक की राशि वाली धोखाधड़ियों के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए वे एक विशेष समिति गठित करें।
- विदेशी कंपनियों को उत्पादन तथा सेवा कार्यकलाप शुरू करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों में शाखा कार्यालय/इकाइयां स्थापित करने की सामान्य अनुमति प्रदान की गयी।
- विविध प्रयोजनों के लिए विदेशी मुद्रा प्रेषण की सीमा कागजी औपचारिकताओं के बिना 500 अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 5000 अमेरिकी डॉलर कर दी गयी।
- यह निर्णय लिया गया कि विदेश में पढ़ाई करने वाले भारतीय विद्यार्थियों को अनिवासी भारतीयों के रूप में माना जाये।
- वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण प्रतिभूतियों में निवेश पर अंतिम दिशानिर्देश जारी किये गये। वित्तीय संस्थाओं को वाणिज्यिक पेपर और जमा प्रमाणपत्रों को छोड़ कर गैर-दर निर्धारित (अनरेटेड) ऋण प्रतिभूतियों और एक वर्ष से कम अवधि वाली मूल परिपक्वता अवधि की ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करने से रोका गया है।
- सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 10 करोड़ रुपये तक की दीर्घकालिक (क्रॉनिक) अनुत्पादक आस्तियों के एक समयी निपटान के लिए आवेदनपत्रों की प्राप्ति की समय सीमा 31 जुलाई 2004 तक बढ़ायी गयी। इसके परिणामस्वरूप, आवेदनपत्रों की प्रोसेसिंग की अंतिम तारीख भी 31 अक्तूबर 2004 तक बढ़ायी गयी।

फरवरी

- बैंकों को अतिदेय जमाराशियों के नवीकरण संबंधी सभी पहलुओं पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी गयी। अलबत्ता, बैंकों के बोर्ड इस संबंध में विवेकाधिकार रहित और भेदभाव रहित पारदर्शी नीति बनायें।
- मीयादी जमाराशियों के अग्रिम पर मार्जिन की मात्रा संबंधी निर्णय बैंकों के स्व-विवेक पर छोड़ा गया।
- मृत जमाकर्ता के जमाखाते की अवधिपूर्णता वाली आय पर देय ब्याज के संबंध में अलग-अलग बैंक स्व-विवेक पर निर्णय ले सकते हैं, बशर्ते उनके बोर्ड इस संबंध में एक पारदर्शी नीति बनायें।
- रिज़र्व बैंक में पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना, शुल्क के आधार पर तथा किसी जोखिम की भागीदारी के बिना बीमा एजेंसी कारोबार करने की अनुमति दी गयी।
- निवासियों को उपलब्ध विदेशी मुद्रा सुविधाओं को और अधिक सरल और उदारीकृत बनाने के अगले चरण के रूप में निवासियों को प्रति कैलेंडर वर्ष किसी भी प्रयोजन के लिए 25,000 अमेरिकी डॉलर बिना किसी बाधा के प्रेषित करने की अनुमति दी गयी। अलबत्ता, यह सुविधा कंपनियों, साझेदारी फर्मों, हिंदू अविभक्त परिवारों, न्यासों आदि के लिए उपलब्ध नहीं होगी।
- शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे अन्य बैंकों के सीएसजीएल खाते न खोलें। यदि पहले ही ऐसे खाते खोले गये हों तो उन्हें तत्काल बंद कर दिया जाये।

मार्च

- सर्वोत्तम व्यवहार संहिता की विषयवस्तु तथा व्याप्ति के संबंध में एक खास स्तर की एकरूपता लाने के लिए रिज़र्व बैंक ने दिशानिर्देश तैयार किये, जिन्हें सर्वोत्तम व्यवहार संहिता तैयार करते समय बैंक ध्यान में रखें।
- शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे रिलीफ बांडों/प्रमाणपत्रों की जमानत पर ऋण मंजूर करते समय सावधानी बरतें।
- भारतीय और विदेशी बैंकों, जिनमें भारत में परिचालन न करने वाले बैंक भी शामिल हैं, को सूचित किया गया कि वे अपनी विदेशी/समुद्रपारीय शाखाओं के लिए विदेशी करेंसी जमाराशियों के लिए अनुरोध करने, अथवा विदेशी पारस्परिक निधियों के लिए अथवा अन्य कोई विदेशी वित्तीय सेवा कंपनी, जो निवासियों के लिए भारत में योजनाओं का विपणन चाहती हो, के लिए एजेन्टों के रूप में कार्य करने के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त करें।
- वास्तविक समय मोड में ऑन लाइन रूप में लेनदेन से लेनदेन (अर्थात् सकल) आधार पर अंतर-बैंक लेनदेनों के समायोजन के लिए रीयल टाइम ग्रॉस सैटलमेंट प्रणाली ने काम करना शुरू किया।
- उदारीकरण की प्रक्रिया की तरफ और एक कदम बढ़ाते हुए निवासियों द्वारा स्वास्थ्य, बीमा, संपत्ति की बिक्री के लिए कमीशन, भारतीय कंपनियों के विदेशी कार्यालयों को अल्पावधि ऋण, विदेश में टी.वी.पर विज्ञापन, रॉयल्टी/एकमुश्त शुल्क, ट्रेडमार्क/फ्रैंचाइज़ की खरीद, ट्रान्सपॉन्डरों के किराया प्रभार के लिए रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना मुक्त रूप से प्रेषणों की अनुमति दी गयी।
- उपहार के ज़रिये वस्तुओं के निर्यात की सीमा प्रति वर्ष एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी गयी।
- प्राधिकृत व्यापारियों को आयातकों को उनके विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से सीधे प्राप्त होने वाले आयात बिलों/दस्तावेजों के संबंध में 100,000 अमेरिकी डॉलर तक प्रेषणों की अनुमति दी गयी।

- प्राधिकृत व्यापारियों को अनिवासी भारतीयों को रुपया ऋण देने के लिए बैंक के निदेशक मंडल द्वारा बनायी गयी नीति के अनुसार अनुमति दी गयी। अलबत्ता, रुपया ऋणों को चिट फंड कारोबार, निधि कंपनी, कृषि/वृक्षारोपण कार्यकलाप, स्थावर संपदा कारोबार, फार्म हाउसों का निर्माण, अंतरणीय विकास अधिकारों (टीडीआर) का व्यापार तथा मार्जिन ट्रेडिंग और डेरिवेटिव्ज समेत पूंजी बाजार में निवेश में से किसी भी कार्यकलाप के लिए उपयोग में न लाया जाये। प्राधिकृत व्यापारी इन ऋणों के संबंध में ऋण की मात्रा, ब्याज की दर, मार्जिन आदि का निर्णय ले सकते हैं।
- भारत में भारतीय कंपनियों को इस बात की सामान्य अनुमति दी गयी कि वे अपनी स्टाफ कल्याण योजना/ऋण नियमों तथा भारत तथा विदेशों में उनके स्टाफ पर यथा लागू अन्य शर्तों के अनुसरण में व्यक्तिगत प्रयोजनों के लिए भारत से बाहर की अपनी शाखाओं के कर्मचारियों को विदेशी मुद्रा में ऋण मंजूर करें।
- विदेशी आवक प्रेषण भुगतान प्रणाली समाप्त कर दी गयी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट और निधियों के ऑन लाइन अंतरण के परिणामस्वरूप बैंकों द्वारा उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था।
- रिज़र्व बैंक ने 29 मार्च 2004 से संशोधित चलनिधि समायोजन सुविधा योजना का परिचालन शुरू किया। सामान्य सुविधा और बैकस्टॉप सुविधा को मिला कर एकल सुविधा बना दिया गया। अब यह एकल दर पर उपलब्ध करायी जायेगी।
- प्रत्यावर्तनीय पुनर्खरीद दर घटा कर 6.0 प्रतिशत कर दी गयी।

अप्रैल

- यह निर्णय लिया गया कि एक वर्ष से तीन वर्ष के लिए ऐसी अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरें, जिनके लिए करार 17 अप्रैल 2004 को भारत में कारोबार की समाप्ति से प्रभावी है, तदनुरूपी अवधि समाप्ति की अमेरिकी डॉलर के लिए लिबोर/स्वैप दरों से अधिक नहीं होनी चाहिए। निर्धारित तीन वर्ष से अधिक की जमाराशियों के लिए ब्याज दर उस स्थिति में लागू होगी यदि परिपक्वता अवधि तीन वर्ष से अधिक होती है।
- एनआरई जमाराशियों पर ब्याज दरों को 17 अप्रैल 2004 से भारत में कारोबार की समाप्ति से लागू करते हुए लिबोर/स्वैप दरों से जोड़ा गया। एनआरई बचत जमाराशियों पर ब्याज दरें अमेरिकी डॉलर जमाराशियों पर 6 माह की परिपक्वता अवधि के लिए लिबोर/स्वेप दरों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- एनआरई बचत जमाराशियों के खाताधारक किसी भी समय बचत जमाराशियां आहरित कर सकते हैं। बैंकों को सूचित किया गया कि उन्हें इन जमाराशियों के खिलाफ प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी प्रकार का लियन अंकित नहीं करना चाहिए।
- जनता को उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं के बारे में गठित कार्यविधि और कार्य-निष्पादन लेखा-परीक्षा समिति (अध्यक्ष: श्री एस.एस.तारापोर) की सिफ़ारिशों के अनुसरण में चैक ड्रॉप सुविधा, काउंटर पर चैक बुक तथा खाता विवरणी/पास बुक की सुपुर्दगी के संबंध में संशोधित मानदंड जारी किये गये।
- बैंकों को सूचित किया गया कि उनकी शाखा के काउंटर पर प्रस्तुत किया गया नोट जाली पाये जाने पर उसे जब्त किया जाये और इस तरह के नोट प्रस्तुत करने वालों को पावती रसीद जारी की जाये।
- अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईज़ेड) में स्थित अपतटीय (ऑफशोर) बैंकिंग इकाइयों को निवासियों के विदेशी मुद्रा खाते खोलने की अनुमति न दी जाये।
- प्राधिकृत व्यापारियों को इस बात की अनुमति दी गयी कि वे विदेशी कंपनियों द्वारा नियुक्त भारतीय नागरिकों, जो इस तरह की विदेशी कंपनी के कार्यालय अथवा शाखा अथवा संयुक्त तत्त्वावधान में प्रतिनियुक्ति पर हैं, को विदेश में रह रहे अपने निकट संबंधियों के भरण पोषण के लिए उनके निवल वेतन से (करों की कटौती, भविष्य निधि अंशदान तथा अन्य कटौतियों के बाद) राशि भेजने की अनुमति दें।
- भारत में आयातों के लिए कारोबारी ऋण से संबद्ध दिशानिर्देश संशोधित किये गये।
- शहरी सहकारी बैंकों द्वारा गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किये गये।

मई

- रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा देय लाभांशों पर अपने दिशानिर्देश संशोधित किये। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, केवल ऐसे बैंक जो कतिपय न्यूनतम विवेकशील अपेक्षाएं पूरी करते हैं, रिज़र्व बैंक के पूर्वामोदन के बिना लाभांश घोषित करने के पात्र होंगे।
- कृषि के लिए ऋण सुपुर्दगी में सुधार लाने के लिए अनेक उपाय घोषित किये गये, जैसे उन किसानों के ऋणों का पुनर्निर्धारण/पुनर्विन्यास जिन्हें प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पादन और आय का नुक्सान झेलना पड़ा हो, लघु और सीमांत कृषकों के लिए एक समयी निपटान हेतु दिशानिर्देश बनाना, 50,000 रुपये तक के कृषि ऋणों और 5 लाख रुपये तक के कृषि कारोबार और कृषि क्लिनिक्स के लिए मार्जिन/जमानत में माफी देना, कृषिगत उत्पाद/उत्पादन रखने के लिए भंडारण इकाइयों को ऋण को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत परोक्ष कृषि वित्त के रूप में मानना आदि।
- बैंकों को सूचित किया गया कि वे यह कड़ाई से सुनिश्चित करें कि उनकी शाखाएं बैंकिंग प्रणाली से ऋण सुविधाएं (निधि आधारित अथवा गैर निधि आधारित) प्राप्त करने वाली संस्थाओं के चालू खाते तब तक न खोलें जब तक कि ऋणदाता बैंक/बैंकों से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता।
- रिज़र्व बैंक ने निर्यातकों के लिए गोल्ड कार्ड योजना घोषित की। इस योजना में निर्यातकों की कार्यक्षमता के अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर उन्हें कुछेक अतिरिक्त फायदे देने की बात कही गयी है। अपने अच्छे ट्रैक रिकार्ड के बलबूते पर गोल्ड कार्ड धारक अधिक दक्षता और सरलता से ऋण पा सकेंगे।
- बैंकों को सूचित किया गया कि वे निर्धारित न्यूनतम शेष राशि में परिवर्तन तथा न्यूनतम शेष राशि बनाये न रखने पर लगाये जाने वाले प्रभारों के बारे में अपने विद्यमान खातेदारों को कम से कम एक माह की पूर्वसूचना देकर बताएं।
- रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया कि अनिवासी व्यक्ति, अनिवासी सामान्य (एनआरओ) खाते निवासियों के साथ संयुक्त रूप से रख सकते हैं।
- निधि अंतरण के अन्य माध्यमों में और तेजी लाने के लिए रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया कि पहली जून 2004 से 31 मार्च 2006 तक की अवधि के लिए ईसीएस और ईएफटी लेनदेनों के लिए बैंक के सेवा प्रभारों में छूट दी जाए।
- बैंकों को सूचित किया गया कि उधारकर्ताओं के लिए व्यापक तथा कड़ी जोखिम आकलन क्रियाविधियां अपना कर ऋण जोखिम के आकलन के लिए ऋण मूल्यों को एक सीध में लाया जाये।
- रिज़र्व बैंक ने इस बात को दोहराया कि लघु वित्त संस्थाएं तब तक सरकारी जमाराशियों का स्वीकार नहीं कर सकतीं, जब तक वे मौजूदा नियामक ढांचे का अनुपालन नहीं करती हैं।
- बाज़ार सहभागियों तथा क्लीयरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के बीच संपार्श्वीकृत उधार तथा ऋण परिचालनों के लिए प्रतिभूतियों का स्वचालित मूल्यहीन अंतरण शुरू किया गया।
- रिज़र्व बैंक ने बैंकों को स्पष्ट किया कि अनिवासी भारतीय, निवासियों के साथ संयुक्त रूप से एनआरओ खाते रख सकते हैं।
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया कि 24 अप्रैल 2004 से अनिवासी भारतीयों से नयी जमाराशियों का स्वीकार न करें, किंतु उन्हें पहले ही स्वीकृत की गयी जमाराशियां नवीकृत करने की अनुमति दी गयी।
- बैंकों को सूचित किया गया कि स्वर्ण जयंती स्वरोज़गार योजना के अंतर्गत सहायता, दो वर्ष की समयबंदी अवधि के साथ सहायता का अंतिम हिस्सा होगी।
- बैंकों को शेयरों/आइपीओ/गारंटी जारी करने पर अग्रिमों पर मार्जिन आवश्यकता कम करके 50 प्रतिशत से 40 प्रतिशत कर दी गयी। साथ ही, बैंकों को सूचित किया गया कि वे पूंजी बाज़ार परिचालनों के लिए उनके द्वारा जारी गारंटियों के संबंध में न्यूनतम 20 प्रतिशत नकदी मार्जिन लें।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एसएलआर प्रतिभूतियों के बाज़ार मूल्य पर मार्ग (मार्क टू मार्केट) करने के मानदंडों में छूट को एक और वर्ष अर्थात् 2004-2005 तक बढ़ाया गया।
- शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि गृह संपत्ति को बंधक रख कर ऋण और अग्रिम मंजूर करते समय मूल्यांकन के बारे में यथोचित सतर्कता बरतें।

- अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के लिए पहले से उपलब्ध परोक्ष निगरानी प्रणाली उन और अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के लिए भी उपलब्ध करायी गयी जिनकी जमाराशियां 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक हैं।

जून

- 31 मार्च 2005 से तीन वर्ष से अधिक समय से संदिग्ध श्रेणी की अनर्जक आस्तियों के लिए उनकी समय-सीमा के आधार पर श्रेणीवार उच्चतर प्रावधानीकरण की व्यवस्था लागू की गयी।
- बैंकों को उनकी ऋण संबंधी नीतियों के मामले में और अधिक लचीलापन प्रदान करने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया कि गैर-जमानती ऋणों के संबंध में अपनी स्वयं की नीति बनायें। गैर-जमानती ऋणों की पुनर्परिभाषा की गयी और यह स्पष्ट किया गया कि गैर-जमानती अवमानक श्रेणी में आनेवाली आस्तियों के लिए 20 प्रतिशत का प्रावधान किया जाये।
- मूलभूत सुविधाओं के लिए और बढ़ावा देने के उद्देश्य से बैंकों को पांच वर्ष की न्यूनतम परिपक्वता अवधि वाले दीर्घावधि बांड निर्माण करने की अनुमति दी गयी।
- बैंकों को सूचित किया गया कि वर्ष 2004 के अंत तक बासले II को अपनाने के लिए रूपरेखा बनायें और की गयी प्रगति की तिमाही समीक्षा करें।
- रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया कि जानबूझकर चूक करने वाले चूककर्ता को पहचानना और शिकायत के निराकरण से संबंधित प्रणाली, ये दो अलग प्रक्रियाएं हैं। उधारकर्ता को जानबूझकर चूक करने वाले के रूप में वर्गीकृत करने से पहले उचित रूप से सूचित करना चाहिए।
- बैंकों के बोर्डों को अपवादात्मक परिस्थितियों में एकल या समूह निवेश सीमा पूंजी निधियों के 5 प्रतिशत बढ़ाने की अनुमति दी गयी।

जुलाई

- रिज़र्व बैंकों ने निजी क्षेत्र के बैंकों में स्वामित्व और गवर्नेन्स के लिए नीतिगत ढांचे का प्रारूप अंतिम रूप दिये जाने से पहले चर्चा के लिए पब्लिक डोमैन पर रखा ।
- गांगुली दल की रिपोर्ट की सिफ़ारिशों के अनुसार रिज़र्व बैंक ने सूचित किया कि निजी क्षेत्र के बैंकों के निदेशकों के रूप में नियुक्त किये जाने से पहले संबंधित व्यक्तियों को कुछ विशिष्ट मानदंडों को पूरा करना होगा।
- बासेल II के मानदंडों को आसानी ने अपनाना सुनिश्चित करने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया कि वे बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभारों दो वर्ष की अवधि में चरणबद्ध में लागू करें।
- इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि मौजूदा छोटे खाता धारकों को कोई असुविधा नहीं होती है और अपने ग्राहक को जानिये क्रियाविधि समय पर पूरी कर ली जाती है, रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया कि बैंक अपने ग्राहक को जानिये क्रियाविधि लागू करने के लिए मौजूदा खातों की सीमा बांध सकते हैं जहाँ 31 मार्च 2003 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष की स्थिति के अनुसार जमा या नामे की अंतिम स्थिति 10 लाख रुपये से अधिक है अथवा जहाँ असामान्य लेनदेनों का शक हो।
- कार्य समेकन के एक प्रयास के रूप में रिज़र्व बैंक ने औद्योगिक और निर्यात ऋण विभाग की गतिविधियों को अन्य विभागों की गतिविधियों के साथ जोड़ दिया।

अगस्त

- रिज़र्व बैंक ने उधार खातों की मंजूरी/निगरानी में पायी गयी खामियों की सूची तथा धोखाधड़ियों की घटनाओं को कम करने के लिए सुझाव बैंकों के बीच परिचालित किये।
- रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया कि जहाँ ऐसे संभावित ग्राहक, जो कोई कॉर्पोरेट है अथवा बड़ा उधारकर्ता है, यदि एक से अधिक बैंकों से ऋण सुविधाओं का लाभ उठा रहा है, के अनुरोध पर यथोचित सावधानी बरती जाती है, बैंकों को चाहिए कि यदि वे महासंघ (कन्सोर्शियम) के अंतर्गत हों तो वे कन्सोर्शियम लीडर को और यदि बहुविध बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत हों तो संबंधित बैंकों को सूचित करें।
- प्रधान मंत्री रोजगार योजना और कारगर तरीके से काम कर सके, इसके लिए इस योजना के अंतर्गत सहायता के लिए स्वयं सहायता समूहों को शामिल किया गया है।
- रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया कि प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के निदेशक और उनके रिश्तेदार शहरी सहकारी बैंकों द्वारा मंजूर किये गये ऋणों और अग्रिमों (जमानती और गैर-जमानती दोनों) के लिए जामिन/गारंटीकर्ता नहीं हो सकते।
- एनपीए स्तर में कमी लाने के लिए ऋण अनुशासन के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि चालू खाता खोलते समय वे खाता धारक से इस आशय का एक घोषणापत्र प्राप्त करें कि वह किसी अन्य वाणिज्य बैंक से ऋण सुविधा नहीं ले रहा है।
- शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि 31 मार्च 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष से उन्हें ऐसी आस्ति को अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत करना होगा जिसकी ब्याज और/या मूल राशि की किस्त 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रह गयी हो।

सितम्बर

- अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए चलनिधि प्रारक्षित अनुपात दो चरणों में उनके निवल मांग और मीयादी देयताओं के एक प्रतिशत पाइंट का आधा बढ़ाया गया। 18 सितम्बर 2004 से सीआरआर 4.75 प्रतिशत और 2 अक्तूबर 2004 से 5.00 प्रतिशत हो गया। अलबत्ता, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा कुल निवल मांग और मीयादी देयताओं पर बरकरार रखा जानेवाला प्रभावी चलनिधि प्रारक्षित अनुपात 3.00 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।
- अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को दिनांक 18 सितम्बर 2004 को शुरू होने वाले पखवाड़े से प्रभावी करते हुए चलनिधि प्रारक्षित अनुपात अपेक्षा के अन्तर्गत रिज़र्व बैंक के पास रखी जाने वाली बैंकों की पात्र नकदी जमाराशियों पर 3.5 प्रतिशत वार्षिक पर ब्याज अदा किया जायेगा।
- प्रौद्योगिकी की शुरुआत किये जाने के परिणामस्वरूप आये हुए परिवर्तनों को देखते हुए तथा ग्राहक सेवा में वृद्धि करते समय परिचालनगत लागतों में कमी लाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बैंकों को इस बात की अनुमति दी गयी कि वे केंद्रीय प्रोसेसिंग सेन्टर/बैक ऑफिस खोलें। ये शाखाएं डेटा प्रोसेसिंग, दस्तावेजों का सत्यापन और प्रोसेसिंग, चेक बुक, मांग ड्राफ्ट इत्यादि जारी करना जैसे काम तथा बैंकिंग कारोबार से जुड़े ऐसे कार्य करने के लिए, जिनमें ग्राहकों के साथ प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होता, शाखाएं खोल सकती हैं।
- निर्यातकों की निर्यात वित्त और अन्य संबद्ध मामलों से जुड़ी समस्याओं पर विचार करने के लिए निर्यात संवर्धन हेतु एसएलबीसी की उप-समिति गठित की गयी।
- बैंकों को सूचित किया गया कि वे एचटीएम के अंतर्गत कुल निवेशों के 25 प्रतिशत की वर्तमान सीमा से अधिक निवेश कर सकते हैं, बशर्ते अतिरिक्त निवेश केवल एसएलआर प्रतिभूतियों में हों और एचटीएम श्रेणी में रखी कुल एसएलआर प्रतिभूतियां पूर्ववर्ती दूसरे पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को उनकी मांग और मीयादी देयताओं के 25 प्रतिशत से अधिक न हों।
- अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने डीटीएल/एनडीटीएल की गणना की विशेष समीक्षा/संवीक्षा तथा उनके द्वारा इस प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किये गये सॉफ्टवेअर की असलियत के सत्यापन के लिए आंतिरक या बाहरी लेखा-परीक्षकों की व्यवस्था करें।
- बैंकों को सूचित किया गया कि इंदिरा आवास योजना और स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण आवास वित्त योजना के अंतर्गत कृषिकर्मियों को मंजूर ग्रामीण आवास अग्रिमों की चुकौती सूची का निर्धारण करते समय वे इस तरह के अग्रिमों पर देय ब्याज/किस्त फसल के चक्र के साथ जोड़ें।
- लातिनी अमेरिकी देशों को निर्यात किये गये माल/सॉफ्टवेयरों के पूरे मूल्य की पोतलदान की तारीख से 360 दिन की अवधि के भीतर वसूली और वापसी की सुविधा पहली सितम्बर 2004 से समाप्त कर दी गयी। तदनुसार लातिनी अमेरिकी देशों को पहली सितम्बर 2004 को या उसके बाद निर्यात करने वाले निर्यातकों का यह दायित्व होगा कि वे निर्यात की तारीख से छह माह की निर्धारित अवधि के भीतर पूरे निर्यात मूल्यों की वसूली कर लें।
- शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे आस्ति वर्गीकरण, आय पहचान और प्रावधानीकरण के प्रयोजन के लिए 31 मार्च 2005 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से प्रभावी स्वर्ण ऋणों तथा एक लाख रुपये तक के छोटे ऋणों के लिए 90 दिवसीय ऋण मानदंड लागू करें।

बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या South - 19/2004-05 Regd. No. MH/MR/South-29/2004-05
30 दिसंबर तथा 31 दिसंबर 2004 को भायखला छँटनी डाक घर - GPO से प्रेषित

अक्तूबर

- किसानों की निवेश ऋण आवश्यकताओं, उदाहरण के लिए सम्बद्ध तथा गैर-कृषि गतिविधियों को शामिल करने के लिए मॉडल किसान क्रेडिट कार्ड योजना को संशोधित किया गया। अब स्कीम का उल्लेख *किसान क्रेडिट योजना के अंतर्गत कृषि तथा सम्बद्ध गतिविधियों के लिए मीयादी ऋण शामिल करने के लिए योजना* के रूप में किया जायेगा।
- रिजर्व बैंक ने टीयर II तथा टीयर III पूंजी के अंतर्गत प्राथमिक व्यापारियों के लिए सबॉर्डिनेटेड ऋण विलेखों के निर्गम से संबंधित दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया।
- जारीकर्ताओं को वाणिज्यिक पत्रों के ज़रिए अल्पकालिक संसाधन जुटाने का विकल्प मिल सके और साथ ही साथ निवेशकों को क्वालिटी अल्पकालिक विलेखों में निवेश करने का मौका मिल सके इसके लिए वाणिज्यिक पत्रों की न्यूनतम परिपक्वता अवधि 15 दिन से घटा कर 7 दिन कर दी गयी।
- बैंकों को उनके द्वारा वित्तपोषित सेकेंड हैंड आस्तियों पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को वित्त देने की अनुमति दी गयी। बैंकों को इस बात की अनुमति भी दी गयी कि वे सेकेंड हैंड आस्तियों की खरीद के लिए ग्राहकों को सीधे ही वित्तीय सहायता दे सकते हैं।
- शहरी गरीबों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली के भीतर लाने के प्रयोजन से बैंकों को सूचित किया गया कि वे यथोचित संपार्श्विक अथवा समूह जमानत पर, पीड़ित शहरी गरीबों को ऋण मंजूर करें ताकि वे गैर-संस्थागत उधारदाताओं के अपने कर्जे चुका सकें। शहरी गरीबों में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे परिवार भी शामिल हैं जो गरीबी रेखा से नीचे गुज़र-बसर कर रहे हैं।
- लघु उद्योगों के लिए संमिश्र ऋण की सीमा 50 लाख रुपये से बढ़ा कर एक करोड़ रुपये कर दी गयी।
- लघु उद्योग क्षेत्र को प्रत्यक्ष उधार के रूप में प्रतिभूतिकृत आस्तियों में बैंकों के निवेश, लघु उद्योग क्षेत्र को प्राथमिकता प्राप्त उनके प्रत्यक्ष उधार के रूप में माने जायेंगे बशर्ते पूल की गयी आस्तियां प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत गिने जानेवाले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को प्रत्यक्ष ऋणों के रूप में होंगी; और प्रतिभूतिकृत ऋण, बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से शुरू होते हैं।
- आवासीय क्षेत्र को ऋण की उपलब्धता में और सुधार लाने के प्रयोजन से बैंकों को इस बात की अनुमति दी गयी कि वे अपने प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अपने उधारों के रूप में, स्थान पर ध्यान दिये बिना आवासीय क्षेत्र के प्रत्यक्ष वित्तपोषण के लिए 15 लाख रुपये तक ऋण मंजूर कर सकते हैं।

नवंबर

- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सूचित किया गया कि वे निम्नलिखित मुद्दों को शामिल करते हुए एक व्यापक और पारदर्शी नीति तैयार करें : (i) स्थानीय/बाहरी चेक तत्काल जमा लिखना; (ii) स्थानीय/बाहरी चेकों के कलेक्शन के लिए समय सीमा तथा (iii) विलंब से कलेक्शन के लिए ब्याज की अदायगी।
- अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) तथा विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज दरें निर्धारित करने की क्रियाविधि में एकरूपता लाने के लिए बैंकों को सूचित किया गया कि वे एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज दरें पहली नवंबर 2004 से शुरू करते हुए पिछले महीने के अंतिम कार्यदिवस पर चल रही लिबोर/स्वैप दरों के आधार पर निर्धारित करें।
- यह निर्णय लिया गया कि पहली नवंबर 2004 से करार की गयी एक से तीन वर्ष की अवधि समाप्ति वाली एनआरई जमाराशियों पर ब्याज दरें पिछले महीने के अंतिम कार्यदिवस के स्थिति के अनुसार तदनुरूपी कालावधि के अमेरिकी डालर के लिए लिबोर/स्वैप दर जमा 50 आधार पॉइंट से अधिक नहीं होनी चाहिए। तीन वर्ष की जमाराशियों के लिए संशोधित ब्याज दरें, तीन वर्ष से अधिक की अवधि समाप्ति वाली जमाराशियों पर और मौजूदा अवधि समाप्ति के बाद नवीकृत की गयी एनआरई जमाराशियों पर भी लागू होंगी।
- मीयादी जमाराशियों की कालावधि में एकरूपता लाने के प्रयोजन से बैंकों को अनुमति दी गयी कि वे घरेलू/साधारण अनिवासी (एनआरओ) मीयादी जमाराशियों की न्यूनतम कालावधि, चाहे वे 15 लाख रुपये से कम ही क्यों न हों 15 दिन से घटा कर 7 दिन कर दें।
- इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नॉलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नॉलॉजी पार्क तथा बायो-टेक्नॉलॉजी पार्क में स्थापित इकाइयों तथा 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुखी इकाइयों को अनुमति दी गयी कि वे निर्यात आय के पूरे मूल्य की वसूली तथा वापसी, निर्यात की तारीख से 12 महीने की अवधि के भीतर करें। यह छूट पहली सितंबर 2004 को या उसके बाद किये गये निर्यातों के लिए उपलब्ध है।
- कृषीगत मशीनरी, जिसमें ड्रिप/छिड़काव सिंचाई प्रणालियां शामिल हैं, के डीलरों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत अग्रिमों की सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ा कर 30 लाख रुपये और संबद्ध गतिविधियों के लिए निविष्टियों के वितरण के लिए 25 लाख रुपये से बढ़ा कर 40 लाख रुपये कर दी गयी।
- रिजर्व बैंक ने वित्तीय कार्य दल की सिफारिशों तथा बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासले समिति द्वारा बैंकों द्वारा ग्राहक सतर्कता अपनाने के बारे में जारी आलेख के आधार पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये। बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि अपने ग्राहक को जानिये पर तथा काले धन को सफेद बनाने को रोकने के बारे में विधिवत नीतिगत ढांचा तैयार किया जाता है और उनके बोर्ड के अनुमोदन के अधीन तीन महीने के भीतर उपाय लागू किये जाते हैं।

दिसंबर

- आवासीय क्षेत्र को ऋण की उपलब्धता में और सुधार लाने के प्रयोजन से बैंकों को उनके बोर्डों के अनुमोदन के अधीन यह अनुमति दी गयी कि वे अपने प्राथमिकताप्राप्त उधार के एक हिस्से के रूप में, स्थान पर ध्यान दिये बिना आवासीय क्षेत्र को 15 लाख रुपये तक के प्रत्यक्ष वित्त प्रदान करें।
- प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधारों के अंतर्गत बैंकों के निवेशों को तर्कसंगत बनाने और बैंकों को किसानों/अन्य प्राथमिकताप्राप्त उधारकर्ताओं को और अधिक प्रत्यक्ष उधार देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह निर्णय लिया गया कि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधारों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट संस्थाओं द्वारा जारी बांडों में बैंकों के निवेशों को वर्गीकृत करने के संबंध में मौजूदा दिशानिर्देशों को 31 मार्च 2005 तक जारी रखा जाए।
- निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम पर कॉल/नोटिस मनी लेनदेनों की रिपोर्टिंग के व्यवस्थित हो जाने के साथ और रिपोर्टिंग के बोझ को कम करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक को कॉल/नोटिस/मीयादी मुद्रा लेनदेनों की रिपोर्टिंग की प्रथा 11 दिसंबर 2004 से समाप्त कर दी गयी। अलबत्ता, गैर-एनडीएस सदस्यों के बीच के लेनदेन रिजर्व बैंक को रिपोर्ट किये जाते रहेंगे।
- विदेशी बैंकों को सूचित किया गया कि वे प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अपने दायित्वों में कमी की राशि को तीन वर्ष की अवधि के लिए भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक में रखें। सीडबी में रखी गयीं निधियां बैंक दर से जुड़े ग्रेडेड ब्याज दर ढांचे से संचालित होंगी।

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू
अपने सभी पाठकों के लिए
सुखी और समृद्ध
नव वर्ष की कामना करता है

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक,** प्रेस संपर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **अल्को कॉर्पोरेशन**, शाह अॅण्ड नहार इंडस्ट्रिअल इस्टेट, लोअर परेल (प.), मुंबई - 400 013 में मुद्रित । **ग्राहक बनाने के इच्छुक कृपया ग्राहक शुल्क मुंबई में देय चेक/मांग ड्राफ्ट निदेशक, रिपोर्ट, समीक्षा और प्रकाशन विभाग (बिक्री विभाग) आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, अमर बिल्डिंग, सर पी. एम. रोड, पो. बॉक्स सं. 1036, मुंबई 400 001 को भेजें । इंटरनेट www.cir.rbi.org.in /hindi पर भी उपलब्ध।**